बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

विषयः वर्ष 2018 की अमरनाथ यात्रा के दौरान श्री अशोक महतो, पिता–खारो महतो, निवासी डुमरा मरांची, रामपुर, पटना की मृत्यु भूस्खलन के दौरान होने के आलोक में उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा/ स्थानीय प्रकृति की आपदा/ गैर प्राकृतिक आपदा के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मानदर निर्धारित है। वर्तमान में राज्य के बाहर घटित घटनाओं के लिए अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में साहाय्य मानदर में उल्लेख नहीं है। उक्त घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान देना समीचीन है। पूर्व में माह जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2881/आ0प्र0, दिनांक–12.07.2013 द्वारा सरकार का निर्णय संसूचित है।

2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2018 की अमरनाथ यात्रा के दौरान श्री अशोक महतो, पिता–खारो महतो, निवासी डुमरा मरांची, रामपुर, पटना की मृत्यु भूस्खलन के दौरान होने के आलोक में उनके निकटतम आश्रित को राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के निमित्त निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाय। उक्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान मृतक के परिजन से मृत्यु की सूचना संबंधित राज्य से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ प्राप्त होने की स्थिति में उचित पहचान कर संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

3. इस पर हुए व्यय की राशि राज्य कोष से वहन की जाएगी एवं मुख्य शीर्ष – 2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष – 02 – बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष – 101 – अनुग्रहित राहत, समूह शीर्ष – गैर योजना के अन्तर्गत, उप शीर्ष – 0015 – राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को अनुग्रह अनुदान से विकलनीय होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

E:\2018\Sanlekh\Sankalp for death outside state.docx

ज्ञापांक– प्रा0आ0–18–03/2018........2176.........../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/8/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– प्रा0आ0–18–03/2018 ......2176......./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/8/18

प्रतिलिपिः सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– प्रा0आ0–18–03/2018 ....2176.........../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/8/18

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय प्रेस, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 (पाँच सौ प्रति मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराय जाय।

प्रधान सचिव

E:\2018\Sanlekh\Sankalp for death outside state.docx